महादलित विकास योजना

❖ महादलित विकास योजना क्या है?

महादलित में शामिल जातियों के विकास हेतु बिहार महादलित विकास मिशन का गठन किया गया है। महादलित समुदाय के विकास हेतु विभिन्न विभागों द्वारा योजनाएँ चलाई जा रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा वास रहित महादलित परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराने की योजना कार्यान्वित की जा रही है।

राज्य में विशेष रूप से समाज के सबसे उपेक्षित तबकों महादलित के बीच गृह विहिनता एक बड़ी समस्या है। इसका मुख्य कारण महादलित परिवारों के बीच वास भूमि की अनउपलब्धता है जिसके कारण कई बार वो इंदिरा आवास का लाभ उठाने में भी असमर्थ हो जाते हैं। राज्य सरकार इस समस्या से अवगत हैं तथा समाज इन सबसे उपेक्षित वर्गों के वास भूमि रहित परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराने हेतु कृत्य संकल्प है। वास भूमि रहित महादलित परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराने का प्रशासी विभाग राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है।

❖ महादलित विकास योजना से कौन तथा कैसे लाभान्वित होगा ?

बिहार राज्य में अनुसूचित जातियों में अत्यधिक पिछड़े वर्गों के विकास हेतु महादलित की परिकल्पना की गयी। इसमें 21 जातियों यथा- बांतर, बाउसी, कोगता, चैपाल, दबगट डोम या धलाद, धन्ही, हलालखोर, हाड़ी (मेहतर या थंगी सहित) कंजर, कुराटियन, लालबेझी, मुसहर, नट, पानया, स्वासी, रजवार, कुँईया, तुरी, धोबी, पासी एवं चमार को शामिल किया गया है।

महादलित में शामिल जातियों के विकास हेतु बिहार महादलित विकास मिशन का गठन किया गया है। महादलित समुदाय के विकास हेतु

विभिन्न विभागों द्वारा योजनाएँ चलाई जा रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा वास रहित महादलित परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराने की योजना कार्यान्वित की जा रही है।

वर्ष 2008-09 में वास रहित महादलित परिवारों का सर्वेक्षण कार्य कराया गया एवं उसके आधार पर चिन्हित वास रहित महादलित परविारों को वासभूमि उपलब्ध कराई जा रही है। महादलित परिवारों को वास भूमि मुख्यतः गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ मालिक/खास एवं वी0 पी0 पी0 एच0 टी0 एक्ट के तहत बन्दोबस्ती द्वारा वासभूमि उपलब्ध करायी जाती है। ऐसे वास रहित महादलित परिवार जिन्हें उक्त तीनों स्त्रोतों से वासभूमि उपलब्ध कराना संभव नहीं होता है, उन्हें रैयती भूमि क्रय कर वास भूमि उपलब्ध करायी जाती है। इसके लिए बिहार महादलित विकास योजना रैयती भूमि की क्रय नीति 2010 राज्य में लागू कराने हेतु बिहार योजना अंतर्गत रैयती भूमि की क्रय नीति 2010 लागू की गई है। इस स्थिति के अन्तर्गत 20,000 रू 0 के वित्तिय अधिसीमा के अंतर्गत 3 डी0 रैयती भूमि क्रय कर वास रहित महादलित परिवारों को वासगीत उपलब्ध कराया जाता है। इस निति के अंतर्गत भूमि का चयन लाभूक महादलित परिवार के द्वारा किया जाता है। एवं अंचलाधिकारी की भूमिका facilitator की होती है। इस नीति के अंतर्गत भूमि का क्रय त्रिपक्षीय विक्रय पत्र के आधार पर की जाती है। जिसमें एक पक्ष भूमि का विक्रेता दूसरा पक्ष अंचल अधिकारी के माध्यम से सरकार तथा तृतीय पक्ष संबंधित वासभूमि रहित महादलित परिवार होता है।